तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./3041/2002/दौसा जगदीश बनाम महेशदानसिंह	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री उमेश गौड, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 06.06.2023

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, लालसोट द्वारा प्रकरण बउनवानी महेशदानसिंह बनाम रामचन्द्र में पारित आदेश दिनांक 17–04–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी को आंशिक रूप से स्वीकार कर अतिरिक्त वाद बिन्दू संख्या–4–क एवं 7–क विरचित किये जाने के आदेश पारित किये है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस निगरानी पर सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण निगराकार ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में प्रस्तावित वाद बिन्दू अभिकथनों व आपत्तियों पर आधारित होने के बावजूद विरचित करना अस्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी में प्रस्तावित वाद बिन्दू पक्षकारान के मध्य विवाद के सही निस्तारण हेतु परम आवश्यक होने के उपरान्त भी प्रस्तावित वाद बिन्दू विरचित नहीं किये और प्रार्थनापत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर आंशिक नवीन वाद बिन्दू कायम किये गये जबकि विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर उक्तानुसार वाद बिन्दू कायम करने चाहिए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यह अभिमत की प्रस्तावित वाद बिन्दूओं का निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11सीपीसी के प्रार्थनापत्र के निस्तारण में हो चुका है। अतः वाद बिन्दू अपेक्षित नहीं है, सर्वथा अवैध है। चूंकि जब वाद बिन्दू विरचित ही नहीं हुए तो उनका निस्तारण कैसे सम्भव है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व आदेश 14 नियम 5 सीपीसी के विषय पृथक पृथक है। अभिकथनों एवं आपत्तियों पर आधारित वाद बिन्दू विरचित होने के बाद ही वाद बिन्दूओं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./3041/2002/दौसा जगदीश बनाम महेशदानसिंह	नम्बर व तारीख

का निस्तारण पक्षकारों की साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी को पूर्णरूपेण स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार संशोधित वाद बिन्दू विरचित करने के आदेश पारित किये जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित आदेश का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी महेशदान द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गयी। तत्पश्चात् प्रार्थी निगराकार द्वारा आदेश 14 नियम 5 सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो विचारण न्यायालय दिनांक 17–4–2002 को निस्तारित किया गया और कुछ तनकीयां बनाई गयी और कुछ तनकी के बारे में प्रार्थना अस्वीकार की गयी। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्टतः अंकित किया है कि–

(क) एवं (ग) उक्त चरणों में अपेक्षित वाद बिंदु पूर्व में विरचित वाद बिंदु संख्या **3** में समाहित होने के कारण संशोधन अपेक्षित नहीं है

(ख) उक्त वाद चरण में अपेक्षित वाद बिंदु को निम्न प्रकार से अतिरिक्त वाद बिंदु संख्या 4 (क) स्वीकार है

‘‘आया प्रतिवादी गण के हक में दिनांक 16–7–1973 को हुए आवंटन आदेश की बहाली का निर्णय राजस्व अपीलीय प्राधिकारी जयपुर दिनांक 31–5–1989 मृतक रामपाल व उदा के विरुद्ध फरमाए जाने के कारण वादी पक्ष पर बाध्यकारी नहीं है।

(घ) उक्त चरण में अपेक्षित वाद बिंदु में विरचित वाद बिंदु संख्या 5 में समाहित होने के कारण संशोधन अपेक्षित नहीं है।

(ड) उक्त चरण में अपेक्षित वाद बिंदु को निम्न प्रकार विरचित किया जा कर अतिरिक्त वाद बिंदु संख्या 7 (क) स्वीकार किया जाता है

‘‘आया वादी पक्ष ने तहसीलदार लालसोट से षड्यंत्र कर प्रतिवादी गण के हक में भरे गए नामांतरण दिनांक 12–3–76 को खारिज करवाएं इस कारण प्रतिवादी गण का राजस्व अभिलेखों में अंकन नहीं हुआ भूमि सिवाय चक रहने के कारण वादी के पिता के नाम 15 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था।

मौजूदा वाद बेदखली का वाद है और उस वाद में अपीलीय न्यायालयों के निर्णय पर कोई टिप्पणी अथवा समीक्षा नहीं की जा सकती। यदि कोई भी पक्ष अपीलीय न्यायालय के निर्णय से व्यथित है तो उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में/मण्डल के यहां निगरानी कार्यवाही करने हेतु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./3041/2002/दौसा जगदीश बनाम महेशदानसिंह	नम्बर व तारीख
	स्वतन्त्र हो सकता है लेकिन उन निर्णयों की वैधानिकता बारे में कोई तनकी नहीं बनाई जा सकती और यह भी कानूनी प्रावधान स्पष्ट है कि जब विचारण न्यायालय द्वारा एक बार किसी बिन्दू पर न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष /निर्णय पारित किया है तो उस बिन्दू के बारे में आदेश 7 नियम 11सीपीसी के प्रार्थनापत्र पर कोई नई तनकी नहीं बनाई जा सकती और ना ही यह कहा जा सकता है कि उक्त प्रार्थनापत्र के बारे में कोई तनकी बनाई जावे क्योंकि जब एक बार न्यायिक विवेक का प्रयोग हो चुका है तो उसी बिन्दू पर दुबारा न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में किसी भी पक्ष के विरूद्ध जो उस आदेश से व्यथित है अपील/निगरानी के मार्ग में ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उस बिन्दू पर तनकी बनाये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सकारण आदेश पारित किया है जिसमें कोई अवैधता व अनियमितता नहीं है और यह निगरानी खारिज की जाती है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि तनकी में संशोधन के लिए यह निगरानी पेश हुई थी और आज 21साल हो चुके है इसलिए विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकरण का यथाशीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करें। पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, लालसोट के न्यायालय में दिनांक 10–07–2022 को उपस्थित हो। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	